मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय
कार्यालयः टैगोर छात्रावास क्रमाँक टी–2, श्यामला हिल, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755–2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2020 / 688 दिनांक– 31/07/20

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / संचालक / प्राचार्य,
निजी विधि महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय– प्रदेश के निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के आगामी ब्लॉक के अर्थात् सत्र 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 के शुल्क विनियमन के संबंध में।

संदर्भ–
1. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2020 / 102 दिनांक 27.01.2020.
2. इस सचिवालय का सूचना पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2019 / 93 दिनांक 24.01.2020.
3. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2019 / 2064 दिनांक 08.07.2019.

***

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम–2007 के तहत गठित प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा प्रकाशित राजपत्र दिनांक 15 अप्रैल, 2008 के विनियम की कंडिका 5 (5) (एक) में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं के द्वारा संचालित बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आगामी तीन साल के ब्लाक अर्थात् **सत्र 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23** के शुल्क विनियमन के संबंध में ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से सचिवालयीन पत्र दिनांक 27.01.2020 से आवेदन पत्र आमंत्रित कर शुल्क विनियमन कराये जाने हेतु दिये गये निर्देश एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश के ज्ञाप क्रमांक 491 / 156 / आउशि / शा–5 'अ' / 2020 दिनांक 22.07.2020 भी प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा शुल्क निर्धारण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त निर्देशों के उपरांत भी आपके द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम एल.एल.बी., बी.ए.एल.एल.बी. बी.कॉम. एल.एल.बी., एल.एल.एम. इत्यादि संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क विनियमन हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति की ओर आज दिनांक तक प्रेषित नहीं किये गये हैं।

ऐसी संस्थायें जिनके द्वारा बॉर काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित हैं तथा शुल्क का विनियमन प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा नहीं कराया गया है, उक्त संस्थाओं द्वारा समिति, सचिवालय के ईमेल **afrcmp@gmail.com** पर **दिनांक 10.08.2020** तक यूजर आई.डी. प्राप्त कर ऑन लाईन के माध्यम से बेवसाईट **www.afrcmp.org** पर प्रोसेसिंग शुल्क एवं संस्था की वित्तीय जानकारी अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि समिति द्वारा शुल्क विनियमन की कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव / विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी

पृ.क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2020 / दिनांक –

प्रतिलिपि–1. माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक 491 / 156 / आउशि / शा–5 'अ' / 2020 दिनांक 22.07.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव / विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी